पेटेन्ट (संशोधन) अधिनियम, 1999

(1999 का अधिनियम संख्यांक 17)

[26 मार्च, 1999]

पेटेन्ट अधिनियम, 1970 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त न प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 1999 है।

(2) यह 1 जनवरी, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1970 का 39

धारा संशोधन

2. पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 5 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, औषध या ओषधि के रूप में, धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के उपखंड (v) के अधीन विनिर्दिष्ट औषध या औषधि के सिवाय, उपयोग के लिए आशयित या उपयोग में लाए जाने योग्य पदार्थ के लिए किसी आविष्कार के पेटेन्ट के लिए दावा किया जा सकता है और उस पर इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय 4क में उपबंधित रीति से कार्रवाई की जाएगी।"।

नए अध का अंत

3. मूल अधिनियम के अध्याय 4 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'अध्याय 4क

अनन्य विपणन अधिकार

अनन्य अधिकार अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन।

24क. (1) धारा 12 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियंत्रक, उस उपधारा के अधीन, धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन आने वाले किसी पेटेन्ट के लिए दावे के संबंध में किसी आवेदन को किसी परीक्षक को रिपोर्ट करने के लिए 31 दिसम्बर, 2004 तक निर्दिष्ट नहीं करेगा और जहां भारत में किसी वस्तु या पदार्थ का विक्रय या वितरण करने के लिए अनन्य अधिकार अनुदत्त किए जाने के लिए कोई आवेदन विहित प्ररूप और रीति में तथा विहित फीस का संदाय करके किया गया है, वहां पेटेन्ट के लिए आवेदन को उसे यह रिपोर्ट करने के लिए परीक्षक को निर्दिष्ट करेगा कि क्या आविष्कार धारा 3 के निबंधनों के अनुसार इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत आविष्कार नहीं है या आविष्कार ऐसा आविष्कार है जिसके लिए धारा 4 के निबंधनों के अनुसार कोई पेटेन्ट अनुदत्त नहीं किया जा सकता है।

(2) जहां नियंत्रक का उपधारा (1) के अधीन किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर और ऐसे अन्य अन्वेषण के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान हो जाता है कि आविष्कार धारा 3 के निबंधनों के अनुसार इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत आविष्कार नहीं है या आविष्कार ऐसा आविष्कार है जिसके लिए धारा 4 के निबंधनों के अनुसार कोई पेटेन्ट अनुदत्त नहीं किया जा सकता है, वहां वह वस्तु या पदार्थ का विक्रय या वितरण करने के अनन्य अधिकार के लिए आवेदन को नामंजूर कर देगा।

(3) उस दशा में, जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ का विक्रय या वितरण करने के अनन्य अधिकार के लिए कोई आवेदन नियंत्रक द्वारा उपधारा (1) के अधीन किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर नामंजूर नहीं किया जाता है, और उसके द्वारा किए गए ऐसे अन्य अन्वेषण, यदि कोई हों, के पश्चात् वह धारा 24ख में उपबंधित रीति से वस्तु या पदार्थ का विक्रय या वितरण करने के अनन्य अधिकार अनुदत्त करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

'स्पष्टीकरण–यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस धारा के अधीन किसी वस्तु या पदार्थ का विक्रय या वितरण करने के अनन्य अधिकार के अन्तर्गत ऐसी कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) में परिभाषित भारतीय चिकित्सा पद्धति पर आधारित है और जहां ऐसी वस्तु या पदार्थ, पहले से ही सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में है। 1970 का 41

अन्य अधिकारों का अनुदत्त किया जाना।

24ख. (1) जहां धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन आने वाले पेटेन्ट के लिए कोई दावा किया गया है और आवेदक ने,—

(क) जहां कोई आविष्कार चाहे भारत में या भारत से भिन्न किसी देश में किया गया है और ऐसा कोई दावा फाइल करने से पहले तद्रूप वस्तु या पदार्थ का दावा करते हुए उसी आविष्कार के लिए 1 जनवरी, 1995 को या उसके पश्चात् किसी अभिसमय देश में आवेदन फाइल किया है, और उस देश में 1 जनवरी, 1995 को या उसके पश्चात् किए गए समुचित परीक्षणों के आधार पर पेटेन्ट और वस्तु या पदार्थ का विक्रय या वितरण करने का अनुमोदन धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन आने वाले पेटेन्ट के लिए दावा करने की तारीख को या उसके पश्चात् अनुदत्त कर दिया गया है; या

(ख) जहां कोई आविष्कार भारत में किया गया है और ऐसा कोई दावा फाइल करने से पहले, तद्रूप वस्तु या पदार्थ से संबंधित उस आविष्कार के विनिर्माण की पद्धति या प्रक्रिया के लिए, 1 जनवरी, 1995 को या उसके पश्चात् पेटेन्ट के लिए दावा किया है और उसके लिए भारत में पेटेन्ट धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन आने वाले पेटेन्ट के लिए दावा करने की तारीख को या उसके पश्चात् अनुदत्त कर दिया गया है,

और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से उस वस्तु या पदार्थ का विक्रय या वितरण करने के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, वहां, नियंत्रक द्वारा इस निमित्त अनुदत्त अनुमोदन की तारीख से ही पांच वर्ष की अवधि तक या पेटेन्ट अनुदत्त किए जाने की तारीख तक या पेटेन्ट अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन के नामंजूर करने की तारीख तक, जो भी पूर्वतर हो, स्वयं उसको, उसके अधिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारियों को वस्तु या पदार्थ का भारत में विक्रय या वितरण करने का अनन्य अधिकार होगा।

(2) जहां, धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन आने वाली किसी वस्तु या पदार्थ से संबंधित किसी आविष्कार के विनिर्देश किसी दस्तावेज में अभिलिखित कर दिए गए हैं या भारत में या किसी अभिसमय देश में उक्त आविष्कार के पेटेन्ट के लिए दावा किए जाने से पहले किसी व्यक्ति द्वारा, आविष्कार की जांच की गई है या उसका प्रयोग किया गया है या वस्तु या पदार्थ का विक्रय किया गया है, वहां ऊपर निर्दिष्ट दावा किए जाने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति द्वारा वस्तु या पदार्थ का विक्रय या वितरण करना, उपधारा (1) के अधीन विक्रय या वितरण करने के अनन्य अधिकार का अतिलंघन नहीं समझा जाएगा:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात, उस दशा में लागू नहीं होगी जिसमें कोई व्यक्ति, किसी ऐसी वस्तु या पदार्थ को उसके विक्रय या वितरण करने की दृष्टि से बनाता है या उसका प्रयोग करता है जिससे संबंधित आविष्कार के ब्यौरे, उस व्यक्ति द्वारा दिए गए थे, जो वस्तु या पदार्थ का विक्रय या वितरण करने का अनन्य अधिकार धारण कर रहा था।

अनिवार्य अनुज्ञप्तियां।

24ग. अध्याय 16 में अनिवार्य अनुज्ञप्तियों से संबंधित उपबंध, आवश्यक उपांतरणों के अधीन रहते हुए, धारा 24ख के अधीन विक्रय या वितरण करने के किसी अनन्य अधिकार के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे विक्रय या वितरण करने के किसी पेटेन्ट के अधीन अधिकार को या उसके संबंध में लागू होते हैं और उस प्रयोजन के लिए उस अध्याय के उपबंधों में निम्नलिखित उपांतरण किए गए समझे जाएंगे और उनके सभी व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा, अर्थात्:—

(क) सम्पूर्ण अध्याय 16 में,—

(i) आविष्कार के कार्यकरण को, वस्तु या पदार्थ का विक्रय या वितरण समझा जाएगा;

(ii) "पेटेंट" के प्रति निर्देश, "विक्रय या वितरण करने के अधिकार" के प्रति निर्देश समझे जाएंगे;

(iii) "पेटेंट की हुई वस्तु" के प्रति निर्देश "किसी वस्तु जिसके लिए विक्रय या वितरण करने का अनन्य अधिकार अनुदत्त किया गया है" के प्रति निर्देश समझे जाएंगे;

(ख) धारा 84 में किसी पेटेंट के मुद्रांकन की तारीख से तीन वर्ष को, धारा 24ख के अधीन विक्रय या वितरण करने के अनन्य अधिकार के लिए नियंत्रक द्वारा अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष समझा जाएगा;

(ग) धारा 85 के अधीन किसी पेटेंट के मुद्रांकन के पश्चात् व्यपगत समय को वह समय समझा जाएगा जो धारा 24ख के अधीन विक्रय या वितरण करने के अनन्य अधिकार के लिए नियंत्रक द्वारा अनुमोदन के पश्चात् व्यपगत हुआ है;

(घ) धारा 90 के खंड (घ) और खंड (ङ) का लोप किया जाएगा।

विक्रय या वि के लिए वि उपबंध।

24घ. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां धारा 24ख की उपधारा (1) के अधीन किसी वस्तु या पदार्थ का विक्रय या वितरण करने का अनन्य अधिकार अनुदत्त किए जाने के पश्चात् किसी समय केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, जिसे धारा 24ख की उपधारा (1) के अधीन अनन्य अधिकार अनुदत्त किया गया है, किसी वस्तु या पदार्थ का विक्रय या वितरण करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है वहां वह स्वयं या इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से वस्तु या पदार्थ का विक्रय या वितरण कर सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और किसी वस्तु या पदार्थ का विक्रय या वितरण करने का अनन्य अधिकार अनुदत्त किए जाने के पश्चात्, किसी समय लोकहित में और उन कारणों से, जिनका उल्लेख किया जाएगा, यह निदेश दे सकेगी कि उक्त वस्तु या पदार्थ का विक्रय, उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अवधारित कीमत पर किया जाएगा।

अतिलंघनों से संबंधित वाद।

24ङ. धारा 24ख के अधीन किसी अधिकार के अतिलंघन से संबंधित सभी वादों के संबंध में वैसी ही कार्यवाही की जाएगी मानो वे अध्याय 18 के अधीन पेटेंटों के अतिलंघन से संबंधित वाद हों।

केन्द्रीय सरकार और उसके अधिकारियों का दायी न होना।

24च. इस अध्याय के अधीन अपेक्षित परीक्षा और अन्वेषणों की बाबत किसी भी प्रकार यह नहीं समझा जाएगा कि वे विक्रय या वितरण करने का अनन्य अधिकार अनुदत्त किए जाने की विधिमान्यता के समुचित आधार हैं और ऐसी परीक्षा या अन्वेषण या किसी रिपोर्ट या उसके परिणाम के रूप में होने वाली किसी अन्य कार्यवाही के कारण या उसके संबंध में कोई दायित्व केन्द्रीय सरकार या उसके किसी अधिकारी द्वारा उपगत नहीं किया जाएगा।'।

धारा 39 का लोप।

4. मूल अधिनियम की धारा 39 का लोप किया जाएगा।

धारा 40 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 40 में, ''या धारा 39 का उल्लंघन करके पेटेंट के अनुदत्त किए जाने के लिए भारत के बाहर आवेदन करता है या कराता है'' शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

धारा 64 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (1) के खंड (ढ) में, ''अथवा धारा 39 का उल्लंघन करके, भारत के बाहर पेटेन्ट अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन किया या करवाया'' शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

धारा 118 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 118 में, ''या धारा 39 के उल्लंघन में पेटेंट के अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन करेगा या करवाएगा'' शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

नई धारा 157क का अंत:स्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 157 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

भारत की सुरक्षा का संरक्षण।

'157क. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार —

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी पेटेन्ट योग्य आविष्कार या पेटेन्ट अनुदत्त करने से संबंधित किसी आवेदन की बाबत कोई ऐसी जानकारी प्रकट नहीं करेगी जिसे वह भारत की सुरक्षा के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला समझती है;

(ख) कोई ऐसी कार्रवाई, जिसके अन्तर्गत किसी पेटेंट अधिकार का प्रतिसंहरण भी है, करेगी जो वह भारत की सुरक्षा के हित में आवश्यक समझे:

परंतु केन्द्रीय सरकार, इस खंड के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, ऐसी कार्रवाई करने का अपना आशय घोषित करते हुए राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''भारत की सुरक्षा'' पद से भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक कोई ऐसी कार्रवाई अभिप्रेत है—

(i) जो विखंडनीय सामग्री या ऐसी सामग्री से संबंधित है जिससे वे व्युत्पन्न होती हैं: या

(ii) जो आयुध, गोला-बारूद और युद्ध के उपकरणों में दुर्व्यापार से और ऐसे अन्य माल तथा सामग्री के ऐसे दुर्व्यापार से संबंधित है जो किसी सैनिक स्थापन को प्रदाय करने के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किया जाता है; या

(iii) जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विषय में युद्ध के समय या अन्य आपातकाल में की जाती है।'।

निरसन और व्यावृत्ति।

9. (1) पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1999, इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 1999 का अध्यादेश संख्यांक 3

1994 का अध्यादेश संख्यांक 13 1999 का अध्यादेश संख्यांक 3

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1994 द्वारा, जो अब प्रवर्तन में नहीं है, संशोधित मूल अधिनियम के अधीन या पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1999 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

1994 का अध्यादेश संख्यांक 13

(3) मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट आविष्कार के पेटेंट के लिए दावों की बाबत, पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1994 के अस्तित्व में न रहने की तारीख से उस तारीख तक, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं), किए गए सभी आवेदन वैध रूप से किए गए समझे जाएंगे मानो इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहे थे।

MGIP(PLU)MRND--1307GI.W--25-10-99.